



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या के अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं ₹ 13,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-240/2003 धारा- 302 भा0द0सं0 व 25/27 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त- 1.भोला पुत्र हरीलाल नि0 रमेड़ी चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को 07 वर्ष के कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड व अभियुक्त- 2. विनोद पुत्र रामप्रसाद नि0 नई बस्ती थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 03 वर्ष के कारावास व ₹3,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ श्री हरपाल
सिंह



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का0 बिजमान सिंह